रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 61] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 3, 1968/चैत्र 14, 1890

No. 61] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 3, 1968/CHAITRA 14, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April 1968

No. ERB-I/68 Co. 1/46.—Following the two Railway accidents at Yalvigi and Bharwari on the 19th and 30th March, 1968, the Minister for Railways announced in Parliament that a High Power Committee would be appointed to look into the causes leading to accidents on the Indian Railways, with particular reference to the implementation of the recommendations of the Railway Accidents Committee of 1962, headed by Shri H. N. Kunzru.

2. The Government of India have accordingly decided to constitute a Committee to be known as the Railway Accidents Inquiry Committee 1968, consisting of the following:—

(1) Shri K. N. Wanchoo, retired Chief Justice of India—*Chairman.*

(2) Shri M. R. Masani, Member of Parliament—*Member.*

(3) Shri S. R. Vasavada, President of National Federation of Indian Railwaymen—*Member.*

(4) Shri F. C. Badhwar, retired Chairman, Railway Board—*Member*.

(5) Shri P. B. Aibara, Commissioner of Railway Safety—*Member*.

3. The terms of reference of the Committee will be :—

(i) To review the position of accidents on the Indian Railways since the appointment of Railway Accidents Committee, 1962, in the light of recommendations made by it and the inplementation thereof.

(ii) To suggest measures for further minimising the accidents.

4. The Committee will endeavour to complete their work as early as possible.

C. S. PARAMESWARAN, Secy.

रेलवे मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1968

सं० ई आर बी 1/63 सी ओ 1/46:—19 और 30 मार्च 1968 को यलविगी और भरवारी में दो रेल दुर्घटनाएं होने पर रेल मंत्री ने संसद् में घोषित किया कि भारतीय रेलों में दुर्घटनाओं के कारणों की विशेष रूप से श्री हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में निर्मित रेल दुर्घटना समिति, 1962 की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संदर्भ में जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त की जायेगी ।

2. तदनुसार भारत सरकार ने एक समिति गठित करने का विनिश्चय किया है जिसका नाम रेल दुर्घटना जांच समिति, 1968 होगा । इस समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

(1) श्री के० एन० वांचू, भारत के सेवा-निवृत्त मुख्य न्यायाधीश . .	अध्यक्ष
(2) श्री एम० आर० मसानी, संसद सदस्य	सदस्य
(3) श्री एस० आर० बसावड़ा, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवमेन के अध्यक्ष	सदस्य
(4) श्री एफ० सी० बधवार, रेलवे बोर्ड के सेवा निवृत्त अध्यक्ष . .	सदस्य
(5) श्री पी० बी० ऐबारा, रेल संरक्षा आयुक्त . . .	सदस्य

3. इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

(i) रेल दुर्घटना समिति, 1962 द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उस समिति की नियुक्ति के बाद से भारतीय रेलों में दुर्घटनाओं की स्थिति और उसकी सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना ।

(ii) दुर्घटनाओं में और कमी के लिए उपाय सुझाना ।

4. यह समिति अपना कार्य यथा-संभव शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेगी ।

सी० एस० परमेश्वरन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968